



2026:AHC:15698

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 2017 सन् 2026

ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : जीतेन्द्र सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी पक्ष को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्ष आदेश से असंतुष्ट है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा इस रिट याचिका में मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, तहसील मौनाथ भंजन, जिला मऊ को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के तहत उत्परिवर्तन वाद संख्या RST RST/5111/2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या TT202415510105111) (ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बनाम तेहबहादुर) का निर्णय निर्धारित अवधि के भीतर करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निर्णय समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। नियम 34 के उप-नियम (7) में निम्नलिखित लिखा है:-

"(7). तहसीलदार पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों के भीतर और विवादित मामले का निपटारा करने का प्रयास करेगा। यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।"

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपरोक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए यह रिट याचिका दायर की गई है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, तहसील मौनाथ भंजन, जिला मऊ को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।"

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"